

जागा भूग पक्ष से भल हो मुकर गए हों, मगर एक ही दिन, एक ही दस्तखत से पंजाब नेशनल बैंक में तीन करोड़ की रकम कैसे जमा की गई और यह रकम किसे दी, इसका जवाब श्री महतो या झारखंड मुक्त मोर्चा के नेताओं ने अब तक नहीं दिया है। इससे साफ हो जाता है कि श्री नरसिंह राव की सरकार ने पैसे की एक दो बोट खरीदे, यह यह लोकसभा में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कल यहाँ फिर दीहुई।

तीन दिन के महाराष्ट्र के दौरे के बाद श्री वाजपेयी यहाँ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भाजपा की प्रार्थनिक सदस्यता से त्यागपत्र देने हुए दिल्ली में श्री महतो ने आरोप लगाया था कि श्री वाजपेयी ने आरोप लगाया था कि श्री वाजपेयी

कि कोई भी उनका उपयोग करे। झारखंड मुक्त मोर्चा के सासदों की कांग्रेस द्वारा खरीदी का समाचार छपते ही श्री महतो मेरे पास आए तो मैंने उन्हें कहा कि वे श्री राम जेठमलानी की सलाह लेकर कार्रवाई करें। तत्पश्चात् श्री महतो ने अपनी भाषा में, अपने हस्ताक्षरों में प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए वक्तव्य दिया। उन पर भाजपा ने कोई दबाव नहीं डाला। श्री वाजपेयी ने आरोप लगाया कि इस वक्तव्य के बाद कांग्रेस ने दबाव डालना शुरू किया।

हवाला मामले में विपक्ष चार साल तक चुप्पी साथ रहा, इस आरोप का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि शुरू में इसे राजनीतिक चर्दे का मामला मान कर उस पर किसी ने गोभीरता से विचार नहीं किया। उसके बाद

दोरान खामोश रहे। मेरी जानकारी के अनुसार श्री नरसिंह श्री जैन से पैसे बोस्लूना चाहते थे, जो न मिलने के कारण उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली। श्री वाजपेयी ने कहा कि अब इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री वाजपेयी ने स्वीकार किया कि वे ही श्री महतो को भाजपा में लाए, मगर उस समय पता नहीं था कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के समय पैसे तिलंथे। उनके मुताबिक उन्हे भाजपा से निकाला जाने वाला था, अच्छा हुआ उन्होंने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया।

हवाला कांड का भाजपा पर कोई असर नहीं होगा। लोकसभा में हमें ही बहुमत मिलेगा, यह आशा व्यक्त करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 34 सीटें खोनी पड़ेंगी। सच्च प्रदेश में भी कांग्रेस

जानबूझ कर विलंब करते; मांग की कि यह अनियंत्रित चाहिए। महाराष्ट्र की गठ काम करने का प्रमाण पत्र व्यक्त की जियदी केंद्र में पुस्तारूद हुई तो अन्य राज्य बर्खास्त कर दी जाएंगी।

श्री वाजपेयी के महाराष्ट्र बुलाडाणा, अकोला, यवतमा गोदावरी, काटोल में अच्छा ज

काटोल जैसे गांवों में भी दु हजार के करीब श्री त्यागपत्र उन्हें कीब 2 करोड़ रु. की थीं।

लालू के इस्तीफे की मांग विधानसभा में हंगामा,

नभाटा समाचार

पटना, 20 मार्च।

पशुपतलन घोटाला को लेकर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने आज बिहार विधानसभा में जबर्दस्त हंगामा किया। इसी उत्तेजना और नरेबाजी के बीच राज्य का 1996-97 का बजट पेश किया गया तथा कुछ अन्य काम निपटाए गए। सदन की बैठक दो चरणों में कोई आधा घटे तक चली।

विधान सभा में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री लालू प्रसाद के मौजूद होने के बावजूद संसदीय कार्रवांती रघुनाथ झा ने आगले वर्ष का बजट और चार महीने का लेखानुदान पेश किया। आगले वित्त वर्ष के लिए पेश बजट में अर्थ-और व्यय में कमी के साथ-साथ वार्षिक योजना के आकार को भी छोटा कर दिया गया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के अनुसार यह 'कमी यथार्थवादी बजट बनाए जाने के कारण आई' है।

इसके बावजूद 120.20 करोड़ घाटे का बजट है। वर्ष की शुरूआत 72.18 करोड़ रुपए के घाटे के साथ हो रही है। राज्य की अगले वित्त वर्ष की वार्षिक योजना का आकार 1400 करोड़ रुपए का है जबकि गत साल की वार्षिक योजना का आकार 25 अरब रुपए का था।

बिहार के वित्त वर्ष 1996-97 के बजट की और विशेषता है। इसमें राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार का कर या अधिभार नहीं लगाया है। लेकिन राज्य की किसी नयी योजना या विकास कार्रवाई के बारे में भी इसमें कोई धोषणा नहीं की गई है। राज्य सरकार ने उम्मीद की है कि कोयला की रायलटी की दर में संशोधन शीघ्र होगा और इससे बिहार को अच्छी राशि हासिल होगी। राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि खाद्यानुदान उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने अन्याचार पर नियंत्रण के संकल्प को दोहराते हुए पशुपतलन घोटाले की चर्चा बजट अधिलेख में की है। इसमें कहा गया है कि इस विभाग के लिए 1995-96 के बजट में मात्र 82.12 करोड़

रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन कुछ अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं की मिलीभाग से फज्जी बिलों के जरिए 162.29 करोड़ रुपए की रकम की निकासी कर ली गई है। राज्य सरकार ने 40 आपाराधिक मामले दायर किए हैं जिनमें अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में लिप्त पाए गए 31 अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई और 102 लोगों को मुअत्तल किया गया है।

इससे पूर्व, विधानसभा की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, माकपा (माले) और समता पार्टी के सभी सदस्य पशुपतलन घोटाला पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे। नरेबाजी और उत्तेजना का दौर आरंभ हुआ। मंत्रियों को छोड़कर जनता दल के अधिकांश सदस्य भी उठकर विपक्ष के इस हमले का उत्तर देने लगे। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद उस समय सदन में मौजूद थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माकवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर बैठे रहे।

सदन में सबसे उत्तेजना व कांग्रेस के सदस्य 'वेल' में 3 'रिपोर्टर्स टेब्ल' पर लेट गए। दल के दजनों सदस्य दौड़ कर गुथमगुथी की स्थिति पैदा हो ग लालू प्रसाद संसदीय कार्यमंत्री रूपे के राजी सिंह तथा रामाश्रम प्रसाद के बाद स्थिति सामान्य हो सकी। 'यादव के बार-बार के आग्रह के बन्ही हुए तो उन्होंने बजट पेश कर कहा। लेकिन यह काम संसदीय जब बजट पेश हो रहा था तो भा सदस्य सदन के 'वेल' में थे। बज बाद सदन की बैठक दो बजे के लिए गई।

मध्याह्न के बाद जब सदन की बैठक तो वही नजारा था।

प्रीति की पहल से नेत्रहीन भी अब चालू खाता सकेंगे

नई दिल्ली, 20 मार्च (भाषा)। क्या कोई ऐसा व्यक्ति किसी बैंक में चालू खाता नहीं खुलवा सकता है जो सफल उद्यमी होने के बावजूद नेत्रहीन हो?

हाँ यह सच है। लेकिन एक नौजवान महिला उद्यमी के संघर्षपूर्ण सतत प्रयासों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पहल की बदौलत अब ऐसा नहीं हो सकता है।

दृष्टिहीन महिला उद्यमी प्रीति सिंह ने आयोग के पास शिकायत की कि दृष्टिहीनता के कारण जाकिर नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा ने उन्हें खाले खाता खोलने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा कि दिल्ली वित्त निगम से मंजूर क्रूर की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने नाम पर बैंक में चालू खाता खोलना जरूरी था ताकि ऋण का वितरण संभव हो सके।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामानाथ मिश्र ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष से इस बारे में संपर्क कराया जारी कर दिया। बैंक अधिकारियों ने उस संपर्क के लिए उन्हें अपनी वित्त वर्ष 1997-98 के बजट में दो लाख रुपए दिया।

भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जवाब दिया कि बैंक की उक्त शाखा सुश्री प्रीति सिंह को इस कारण से चालू खाता नहीं खोलने दे सकती है क्योंकि नेत्रहीनों के लिए सिर्फ बचत खाता खोलने का ही प्रस्ताव है।

आयोग को भेजे गए उत्तर में बैंक के अध्यक्ष पी.जी. राकोदकर ने लिखा कि सुश्री प्रीति सिंह के अनुरोध के बाद नेत्रहीनों और बैंक दोनों के आपसी हितों को ध्यान को रखकर इस सवाल पर गैर किया गया है। अब सभी शाखाओं को उचित दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं। बैंक अधिकारियों ने उक्त स्थानीय शाखा को यह भी निर्देश दिया कि वह सुश्री सिंह से संपर्क करे ताकि वे अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर सकें। सुश्री सिंह पहले एक संगठन में विपक्षन प्रबंधक थीं और अब उन्होंने खुद अपनी विपक्षन कंपनी खोल ली है।

नई दिल्ली, 20 मार्च (नस)। हवाला कांड की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के पूर्व महाप्रबंधक वी. सुंदरराजन के नाम आज पुनः समन जारी कर दिए और निगम के पूर्व निदेशक मोहम्मद अब्दुल हुई को जमानत प्रदान कर दी।

सीबीआई ने निगम के सात अधिकारियों के विरुद्ध 28 नवंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। वी. सुंदरराजन के समन तामील नहीं हुए। अदालत को उसका एक पत्र मिला कि वह इस समय अपरिकार में है। अदालत ने उसके पुनः समन जारी किए तथा उसे 8 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया।

विशेष न्यायाधीश विद्याभूषण गुप्ता ने निगम के पूर्व निदेशक (तकनीक) मोहम्मद अब्दुल हुई को 10 हजार की जमानत तथा इतनी ही राशि के निजी मुखलके पर छोड़ दिया। सीबीआई ने अभियुक्त की जमानत अर्जन का विरोध नहीं किया। न्यायाधीश ने अब्दुल हुई को निर्देश दिया कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा। न्यायाधीश ने अपना विवरण दिया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया के आगली तारीख 5 अप्रैल निश्चित की गई है कि वे वकील ने दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए मांगा था।

वाशिंगटन, 29 मार्च (भाषा)। राष्ट्रपति बिल विलंटन ने वित्त वर्ष 1997-98 में 14,950 खरब डालर का बजट कांग्रेस में